

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4184/2022

विजया खाण्डल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रानोली, सीकर।
4. मनीषा आमेटा, वर्तमान पदस्थापित स्कूल व्याख्याता (भौतिकी विज्ञान), सोमानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौलासर, नागौर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022

आदेश की दिनांक : 21.10.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता भौतिकी विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रानोली, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सोमानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौलासर, नागौर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्था संख्या 4 के स्थान पर किया गया। तथा निजी प्रत्यर्था संख्या 4 का स्थानान्तरण सोमानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौलासर, नागौर से अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्था संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के लिए किया गया। अपीलार्थी के पति भी शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक-3)। राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस-पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के दो बच्चे हैं। अपीलार्थी की एक छोटी बच्ची जन्मजात HIRSCH-SPRUNG AND HYPOTHYROIDISM की गंभीर बीमारी से पीड़ित है तथा ऑपरेशन भी हो चुका है, जिसका निरन्तर इलाज के.एम.एस अस्पताल, जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक-5)।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.08.2022 (अनुलग्नक-2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर व्याख्याता भौतिकी विज्ञान के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रानोली, सीकर में कार्य करने दिया जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी की पुत्री के संबंध में चिकित्सक द्वारा 15-16 वर्ष की उम्र तक विशेष देखभाल करने की सलाह दिनांक 20.10.2022 को दी है (अनुलग्नक-8)।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की एक छोटी बच्ची जन्मजात HIRSCH-SPRUNG AND HYPOTHYROIDISM की गंभीर बीमारी से पीड़ित है तथा ऑपरेशन भी हो चुका है, जिसका निरन्तर इलाज के.एम.एस अस्पताल, जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी की पुत्री के संबंध में चिकित्सक द्वारा विशेष देखभाल करने की सलाह दी है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.08.2022 (अनुलग्नक-2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य